

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,

पंचायतीराज,

उ०प्र० लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी

उ०प्र०।

पंचायती राज अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 29 जुलाई, 2020

विषय:- मा० उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या-9967/2020 सुशील बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश में 1,01,688 सफाई कर्मी जनपदों के विभिन्न राजस्व ग्रामों में तैनात हैं। मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित जनहित याचिका संख्या-9967/2020 सुशील बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-07-2020 के अनुक्रम में प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्राम में तैनात/कार्यरत सफाई कर्मी के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

(1) निदेशक, पंचायतीराज सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की उनके राजस्व ग्रामों में तैनाती एवं उपस्थिति के अनुश्रवण के लिए व्यवस्था बनाये, जिसमें प्रत्येक माह के अंत में उनके द्वारा माह में किये गये कार्य की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाय।

(2) समस्त जिलों में तैनात सफाई कर्मियों का नाम एवं उनके तैनाती का स्थान पंचायतीराज विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तथा इसे अद्यावधिक रखने की व्यवस्था बनायेगे। निदेशक, पंचायतीराज उ०प्र० इसका माह के अंत में अनुश्रवण कर रिपोर्ट देगे। इससे यह सूचना **Public Domain** में रहे तथा पारदर्शिता बनी रहे है।

(3) सफाई कर्मचारी द्वारा अपने तैनाती के ग्राम में स्वच्छता व सेनीटाइजेशन का कार्य करे, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी की होगी।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह )

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 2- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं०) उ०प्र०।
- 3- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र० ।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अमिताभ श्रीवास्तव )

अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।